पंचायतों को सशक्त बनाने हेतु राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना (प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण) की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के दिशा–निर्देश ।

1. पृष्ठभूमि

1.1. 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1993 ने जिला, मध्यवर्ती एवं ग्राम स्तरों पर पंचायतों को संवैधानिक हैसियत प्रदान की । संशोधन के लागू होने से लेकर प्रथम चौदह वर्षों के दौरान लोगों के राजनैतिक सशक्तिकरण के व्यापक आधार को पर्याप्त रूप से सशक्त बनाने पर लक्षित रहा । तथापि, संविधान का भाग IX का मूलभूत तत्व यह है कि निर्वाचित पंचायतें ग्रामीण क्षेत्रों में स्व–सरकार की संस्थाओं के तौर पर कार्य करे । जोर इस बात पर है कि पंचायतों को कतिपय प्रकार्यात्मक अधिदेशों से उन्हें सशक्त बना कर, पर्याप्त मात्रा में स्वायत्ता प्रदान कर एवं राजकोषीय अंतरण, कराधान एवं कर निर्धारण के अधिकारों के जरिए आत्म–विश्वास एवं आत्म–निर्भरता का तत्व प्रदान किया जाए ।

1.2. राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एन सी एम पी) यह अभिव्यक्त करता है कि सरकार सुनिश्चित करेगी कि ग्राम सभा को पंचायती राज के आधार के रूप में विकसित होने के लिए सशक्त बनाया जाए । कोषों के अंतरण के साथ प्रकार्यों एवं कर्मियों के सदृश अंतरण भी किए जाएंगे । सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि राज्यों को पंचायतों द्वारा गरीबी उपशमन एवं ग्रामीण विकास स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए प्रदान की जाने वाली सभी निधियां न तो विलंबित और न ही विपथित किए जाएं । पंचायत निकायों में नियमित निर्वाचन सुनिश्चित किए जाएंगे एवं पांचवी अनुसूची के क्षेत्रों के संबंध में संशोधित अधिनियम पी ई एस ए को लागू किया जाएगा ।

1.3. पंचायती राज मंत्रालय पंचायती राज को सशक्त करने के लिए कई पहलों में व्यस्त रहा है । पंचायती राज को सशक्त बनाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर राष्ट्रीय सहमति का विकास करने एवं यह सुनिश्चित करने के लिए कि पंचायतें संविधान के भाग IX की मूल भावना के अनुसार स्व–सरकार की संस्थाओं के तौर पर कार्य करें, जून,2004 से दिसम्बर ,2004 के मध्य पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायती राज के राज्य मंत्रियों के सात गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया । गोलमेज सम्मेलनों में पंचायती राज के 18 आयामों से संबंधित लगभग 150 कार्रवाई बिन्दु उभर कर सामने

आए । इनमें अन्य बातों के साथ–साथ कार्यों, कोषों , कर्मियों के प्रभावी अंतरण, नियोजन, ग्राम सभाएं, महिलाएं, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की विशेष समस्याएं, निर्वाचन, लेखा परीक्षा , समानान्तर निकाएं, क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण, पंचायतों की स्थिति रिपोर्ट को तैयार किया जाना एवं पंचायती राज न्याय प्रक्रिया पर कार्य किया जाना भी शामिल है । केंद्रीय स्तर पर, एक महत्वपूर्ण कार्य यह सुनिश्चित किया जाना है कि केंद्र सरकार के कार्यक्रम एवं केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें पंचायतों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की मूल भावना के अनुरूप हों । इन प्रयासों ने कई मंत्रालयों द्वारा किए गए कई महत्वपूर्ण नीति परिवर्तनों , जिन्होंने पंचायतों को निर्धारित संवैधानिक भूमिका को अच्छी तरह से प्रतिबिम्बित किया है, में योगदान दिया है । पंचयातों द्वारा नियोजन एवं कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कतिपय महत्वपूर्ण कार्यक्रम एवं स्कीमों को पुनरभिमुख किया गया है ।

1.4. इन घटना चक्रों ने पंचायतों विशेषकर ग्राम पंचायतों को अपेक्षित अवसंरचना एवं कर्मचारी उपलब्ध कराते हुए नियोजन एवं कार्यान्वयन, वित्तीय प्रबंधन, स्थानीय जवाबदेही एवं संसाधन संग्रहण के लिए उनके क्षमता निर्माण करते हुए तेजी से सशक्त बनाने की आवश्यकता को पहली पंक्ति में ला खड़ा किया है । संविधान के भाग IX के मूलभूत भावना के अनुरूप पंचायतों को स्थानीय स्व–सरकार की संस्थाओं के रूप में सशक्त बनाने की पूर्ण जिम्मेवारी भारत सरकार की है । केन्द्रीय स्कीमों एवं कार्यक्रमों के पुनरभिमुखीकरण के साथ–साथ , अब पंचायतों को अंतरित प्रकार्यों को और अधिक प्रभावी तरीके से निष्पादित करने के लिए पंचायतों को सशक्त बनाने में राज्यों को सहयोग एवं समर्थन देने की तात्कालिक जिम्मेवारी है । पंचायतों के प्रशासनिक सशक्तिकरण एवं क्षमता निर्माण के लिए प्रस्तावित स्कीम, नामतः ग्राम स्वराज योजना की अभिकल्पना इस चुनौती को पूरा करने के उद्देश्य से की गई है ।

2. योजना के उद्देश्य

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करना है जिससे कि वे उन्हें अंतरित प्रकार्यों व सौंपे गये स्कीमों को प्रभावी रूप से निष्पादित कर सकें । जिला परिषद्, ब्लॉक पंचायत एवं ग्राम

पंचायत के सभी तीन स्तरों के पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण की आवश्यकता को कम कर के नहीं आंका जा सकता । राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, जिसे विस्तारित कर पूरे देश में संचालित किया जा रहा है, जैसे कल्याणकारी स्कीमों के कार्यान्वयन के साथ पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व कई गुना बढ़ गए हैं । इन उत्तरदायित्वों की जटिलताओं को समझने एवं अपने चुनाव क्षेत्र की अपेक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के रूप में प्रभावशाली समर्थन की आवश्यकता है ।

3. कवरेज एवं कार्य प्रणाली

3.1. मंत्रालय के पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (बी आर जी एफ) कार्यक्रम के तहत देश के 250 जिलों (जिनमें से 236 जिलों में पंचायतें अस्तित्व में हैं एवं 14 जिले छठी अनुसूची के क्षेत्र में आते हैं) में राष्ट्रीय क्षमता निर्माण फ्रेमवर्क पहले से ही कार्यान्वित किया जा रहा है । राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण गैर–बी आर जी एफ जिलों में कार्यान्वित की जाएगी । इसकी कार्य प्रणाली निम्नवत है :–

(क) सभी पंचायती राज संस्थाओं के कर्मियों एवं निर्वाचित प्रतिनिधियों नामतः

(i) ग्राम पंचायत सदस्य, अध्यक्ष एवं पदधारी

(ii) मध्यवर्ती पंचायत सदस्य, अध्यक्ष एवं पदधारी

(iii) जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष एवं पदधारी

(iv) राष्ट्रीय, राज्य, जिला, मध्यवर्ती एवं ग्राम स्तर के संबद्ध सभी अधिकारी

(v) सभी स्तरों पर स्थायी समिति के सदस्य

को प्रशिक्षण एवं कम्यूनिकेशन मिलनी चाहिए।

(ख) मीडिया, राजनीतिक दलों, विधानमण्डलों के प्रतिनिधियों, सिविल सोसायटी के संगठनों एवं नागरिकों को सुग्राही बनाने हुत विशेष प्रयास किए जाने चाहिए ।

(ग) ग्राम सभा सदस्यों को एकत्रित करने हेतु निश्चित रूप से विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए ।

(घ) महिलाओं, अजा./अजजा. के प्रतिनिधियों एवं पंचायत प्रणाली में प्रथम बार प्रवेश करने वालों को अपने प्रवेश के तीन महीने के भीतर निश्चित रूप से विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ।

(ड.) पी ई एस ए क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षण को इस प्रकार अभिकल्पित किया जाना चाहिए कि जनजातीय लोगों के सांस्कृतिक परंपराओं एवं विशेष जरूरतों को सम्मान मिले ।

(च) प्रशिक्षण एवं संसूचन को मात्र एक बार की मध्यस्थता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि इसे आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास की अभिवृद्धि के प्रति उन्मुख एक सतत व लगातार प्रक्रिया होनी चाहिए । प्रशिक्षण निर्वाचन अवधि के 'पूर्व' एवं 'पश्चात्' दोनों को कवर करना चाहिए । सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को एक वर्ष के भीतर आरंभिक प्रशिक्षण एवं कम्यूनिकेशन प्राप्त हो जानी चाहिए ।

(छ) उन पंचायत सदस्यों के लिए, जिन्हें जरूरत हो, निर्वाचन के उपरांत तात्कालिक रूप से एक प्रकार्यात्मक साक्षरता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाया जाना चाहिए ।

(ज) प्रक्षिक्षण की विषयवस्तु में रणनीतिक एवं तकनीकी पहलुओं पर जोर देना चाहिए एवं बहु–पणधारी परमार्शदात्री कार्यशालाओं, जो कि प्रशिक्षण माड्यूल एवं सामग्री की अभिकल्पना के पूर्व आयोजित किए जाएंगे , के माध्यम से प्राप्त एक क्रमबद्ध प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण पर आधारित होनी चाहिए ।

(झ) एक न्यूनतम कोर पाठ्यचर्या होनी चाहिए जो स्थानीय संदर्भ के उपयुक्त होने के लिए अनुकूल रहते हुए सभी राज्यों के लिए समान हो । कोर पाठ्यचर्या में निम्नलिखित शामिल होंगे :

(1) ग्राम स्वराज के माध्यम से पूर्ण स्वराज का वीजन

(2) भारत के संविधान से निःसृत धर्मनिरपेक्षता, समानता एवं मानवाधिकारों के सिद्धांत

(3)लिंग निष्पक्षता एवं सामाजिक न्याय

(4)मानव विकास की स्थिति

(5)गरीबी उपशमन

(6)सहभागी नियोजन, कार्यान्वयन एवं मॉनीटरन

(7)सूचना का अधिकार एवं पारदर्शिता

(8) सामाजिक लेखा परीक्षा

(9) पंचायती राज को कवर करते हुए नियम एवं विनियम

(ञ) कथ्यपरक पाठ्यचर्या में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए:

(i) मानव संसाधन प्रबन्धन

(ii) प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन

(iii) आपदा प्रबन्धन

(iv) वित्तीय प्रबन्धन, स्वयं–संसाधन प्रबन्धन एवं लेखा समेत

(v) आधारभूत मानवीय जरूरतों को उपलब्ध कराने में सेक्टर–वार दृष्टिकोण

(ट) प्रशिक्षण रणनीति समावेशी, सहभागी एवं पारस्परिक तथा विभिन्न हस्तक्षेपों का सामासिक मिश्रण होना चाहिए :

(क) सेमिनार एवं कार्यशालाएं समेत आमने–सामने की भागीदारीपूर्ण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

(ख) प्रदर्शन दौरा

(ग) अभिजात प्रशिक्षण/अधिगम

(घ) सैटेलाइट प्रशिक्षण

(ड.) रेडियो/कैसेट/फिल्म

(च) संचार के पारंपरिक साधन

(छ) सूचना पत्र , बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तरों के अद्यतनीकरण एवं सार–संग्रह

(ज) पंचायतों के लिए संसाधन केंद्र एवं हेल्प डेस्क

(ठ) प्रशिक्षण का समग्र परिप्रेक्ष्य पंचायती राज के जरिए शासन की प्रक्रिया में सभी स्तरों के अधिकारीवर्ग समेत सभी प्रतिभागियों में सामाजिक समदृष्टि, लिंग संवेदनशीलता एवं न्याय के मामलों को निश्चित रूप से सुदृढ करे ।

(ड) प्रशिक्षण विषय–वस्तु की प्रक्रियाएं निर्वाचित प्रतिनिधियों की जमीनी सच्चाई के प्रासंगिक होने चाहिए । इसे प्रतिपुष्टि एवं प्रभाव मूल्यांकन के आधार पर विकास करना एवं तैयार करना जारी रखना चाहिए । प्रशिक्षण को द्विमार्गी प्रक्रिया होनी चाहिए जिससे कि प्रतिपुष्टि से प्रशिक्षण की विषय–वस्तु एवं प्रक्रिया में सुधार लाने में मदद मिल सके साथ ही पंचायत एवं सरकारी कार्य–कलाप में क्रमिक परिवर्तन आ सके ।

(ढ) राज्यों को राज्य, जिला व ब्लॉक स्तर पर समुदाय–आधारित संगठन के साथ सहयोग को संस्थागत कर देना चाहिए ।

(ण) प्रशिक्षण से निर्वाचित प्रतिनिधियों को परिसंघ अथवा समूह बनाने की अभिप्रेरणा मिलनी चाहिए एवं उन्हें यथार्थ अंतरण एवं विकास की अपनी मांगों को व्यक्त करने में सहायता मिलनी चाहिए।

(त) प्रशिक्षण में अन्य पंचायतों के दौरों के माध्यम से अच्छे प्रयासों का प्रदर्शन भी शामिल होना चाहिए ।

(थ) प्रशिक्षण कार्यक्रम पंचायतों के साथ कार्यरत सचिवालय एवं तकनीकी कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से अभिकल्पित होगा ।

(द) लोकतंत्र एवं स्थानीय स्व–सरकार की संस्थाओं के तौर पर पंचायतों की संवैधानिक भूमिका में शिक्षा को विद्यालयी पाठ्यचर्या का अंग बनाना चाहिए ।

(ध) संघ राज्य क्षेत्रों एवं छठी अनुसूची के क्षेत्रों वाले राज्यों से पंचायत सदस्यों की प्रशिक्षण जरूरतों के संदर्भ में एस आई आर डी एक्सटेंशन प्रशिक्षण केन्द्र एवं अन्य संस्थाओं को अभिचिह्नित किया गया है ।

4. <u>उद्देश्य एवं परिणाम</u>

4.1 चूंकि प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है इसलिए ''प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण '' के अन्तर्गत अनवरत आधार पर ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सम्पूर्ण देश में सभी 36 लाख

निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं 8 लाख पंचायत अधिकारियों को व्यापक प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण का प्रस्ताव किया गया है । इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य निम्नवत है :

(क) पंचायतों के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को भलि–भांति निष्पादित करने के लिए पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों के ज्ञान एवं कौशल तथा मनोवृत्ति का उन्नयन । विशेषतः, निम्नलिखित में वृद्धि ।

- स्थानीय स्व–शासन की उनकी समझ, स्थानीय नियोजन एवं न्यायसंगत रूप से स्थानीय आवश्यकता आधारित कार्यवाही योजनाओं का कार्यान्वयन, विशेषतः जाति एवं लिंग की विषमताओं को परे रखते हुए ।
- पी आर आई संरचना में भागीदारीपूर्ण निर्णय लेने के माध्यम से स्थानीय समस्याओं को हल करने के लिए रचनात्मक सोंच ।
- लोक शिकायत एवं विकास आवश्यकताओं के प्रभावी निपटान के लिए कार्यवाही बिंदुओं का नियमित प्राथमिकता निर्धारण की अन्तर्दृष्टि
- उन्हें पंचायतों के कार्यकारी कर्तव्यों के दैनिक निष्पादन हेतु प्रचालनात्मक कौशलों से लैस करना ।

(ख) पंचायतों को उन्हें अंतरित कार्यों के निष्पादन में प्रभावी रूप से सेवा एवं सहयोग देने के लिए पंचायतों को अंतरित कार्यों से जुड़े मुख्य अधिकारियों का पूर्वाभिमुखीकरण । एक ओर ये अधिकारी अपने विभागों, जिसमें वे सेवारत हैं, से संबंधित विस्तृत तकनीकी ज्ञान का एक महत्वपूर्ण पूल का प्रतिनिधित्व करते हैं एवं इस कारण से, वे पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों को परामर्श देने एवं अपने ज्ञान प्रदान करने में महत्वपूर्ण मददगार की भूमिका निभा सकते हैं । दूसरी ओर ये अधिकारी भी निर्वाचित प्रतिनिधियों के आधारभूत स्तर से मिले अनुभवों से मिली सीख को ग्रहण कर बहुत लाभान्वित होंगे । ये निर्वाचित प्रतिनिधि आधारभूत स्तर के सूक्ष्म अंतरों के महत्वपूर्ण स्थानीय ज्ञान का पारास्परिक आदान–प्रदान करेंगे । इस फ्रेमवर्क का लक्ष्य है :

- पंचायतों को तकनीकी सलाहकार एवं प्रशिक्षकों के तौर पर कार्य करने में इन अधिकारियों को साधनयुक्त बनाना, एवं
- उन्हें निर्वाचित पंचायत पतिनिधियों के आधारभूत स्तर के अनुभवों को आदर देने, उनके प्रति ज्यादा ग्राही होने एवं उनसे सीखने के लिए अनुकूल बनाना ।

(ग) ग्राम सभा के महत्वपूर्ण तरीके से कार्य करने को प्रोत्साहित करने के माध्यम से आधारभूत स्तर के लोकतंत्र के कार्यकरण के उत्साह में वृद्धि करना । पंचायती राज प्रणाली की आत्मा के तौर पर ग्राम सभा को अपने कोर महत्व को प्राप्त करने के लिए सवेंदीकृत किया जाएगा । इस प्रकार ग्राम सभा :

- समुदाय विशेषतः निर्धनों के लिए स्थान उपलब्ध कराएगी, जिससे कि वे भागीदारीपूर्ण नियोजन के जरिए अपनी मांगों को रख सकें ।
- ऐसी योजनाओं के कार्यान्वयन का मानीटरन करने तथा सूचना के अधिकार एवं सामाजिक लेखा परीक्षा के साधनों के माध्यम से पंचायतों को उत्तरदायी ठहराने के लिए समर्थ बनाएगी ।

(घ) मीडिया, राजनीतिक दलों, विधान मंडलों के प्रतिनिधियों, सिविल सोसायटी के संगठनों श्रमिक संघों , सेवा परिसंघों एवं नागरिकों को पंचायती राज को स्थानीय सरकार के प्रभावी स्तर के रूप में आदर देने के लिए संवेदीकृत करना ।

5. प्रशिक्षण के मुख्य क्षेत्र

- 73वां संवैधानिक संशोधन
- नया पंचायती राज अधिनियम एवं राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की भूमिका
- पंचायती राज संस्थाओं की त्रि–स्तरीय प्रणाली के संरचना एवं कार्य
- पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रधानों के भूमिका एवं उत्तरदायित्व शक्तियां एवं कार्य

- पंचायती राज के जरिए शासन
- वंचित वर्गों महिलाओं/अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों की राजनीतिक भागीदारी को सशक्त बनाना
  - प्रभावी ग्राम सभाओं को संचालित करन
  - पंचायती राज संस्थाओं की स्थायी समितियों/ निगरानी समिति एवं उनके प्रकार्य
  - ग्रामीण क्षेत्रों की विकास की स्कीमें
  - ग्रामीण विकास की स्कीमें/कार्यक्रम
  - गरीबी उपशमन की स्कीमें
  - रोजगार सृजन की स्कीमें
  - क्षेत्र विकास की स्कीमें
  - राज्य विशिष्ट स्कीमें
  - नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण एवं प्रणालियां
  - विकास की जनकेंद्रित लघु–नियोजन/सहभागितापूर्ण नियोजन
  - जिला योजना समितियां एवं उनकी भूमिकाएं
  - प्रभावी ग्राम सभाओं/वार्ड सभाओं का संचालन
  - बजट बनाना एवं निधियों का समुचित उपयोग
  - लेखा–पालन एवं लेखा परीक्षा
  - पंचायतों की आय
  - नये संसाधनों का संग्रहण : किराया/शुल्क/कर/उगाही/चुंगी/ जुर्माना इत्यादि
  - पंचायती राज संस्थाओं के लिए केंन्द्र/ राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें
  - सांसद एवं विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधियां
  - व्यवसाय का संचालन
  - बैठकों का आयोजनः कार्यसूची व कार्यवृत्त तैयार करना

- रिकार्ड एवं पंजी का अनुरक्षण
- मुकदमेंबाजी को संभालना
- पारदर्शिता एवं जवाबदेही
- सूचना का अधिकार
- लोक सुनवाई के जरिए सामाजिक लेखा परीक्षा
- सकारात्मक मानसिक अभिवृत्ति
- नेतृत्व एवं समूह का संघटन
- अभिप्रेरण एवं पर्यवेक्षण
- निर्णय लेने की प्रक्रिया
- सहभागितापूर्ण निर्णय
- सहभागितापूर्ण अधिगम एवं कार्य (लघु नियोजन के लिए पी एल ए/पी आर ए)
- प्रभावी सार्वजनिक वाक्पटुता
- प्रभावी बैठकों का संचालन
- झगड़ों का निपटारा
- अन्तर–वैयक्तिक संबंध (निर्वाचित एवं अधिकारी)
- संप्रेषण एवं वार्ता कौशल
- जेंडर प्रतिसंवेदिता
- आम लोगों के बीच रहस्योद्घाटन
- प्रतिसंवेदी शासन
- सेवाओं एवं सूचना की सुपुर्दगी
- सार्वजनिक जीवन में मूल्य एवं नैतिकता
- लाइन विभागों एवं समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ) के साथ समन्वय
- कार्यक्रमों/स्कीमों का कार्यान्वयन एवं मॉनीटरन

- सामग्रियों के संविदा व क्रय के तरीके
- आई टी समर्पित ई–शासन
- पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारियों का कम्प्यूटर प्रशिक्षण
- पंचायत स्तर पर आंकड़ों का संग्रहण
- सर्वोत्तम प्रयासों का प्रदर्शन
- सूचना अनुभवों व सर्वोत्तम प्रयासों की साझेदारी ।

6. निधीयन पैटर्न

(क) स्कीम मांग संचालित प्रकृति का है एवं स्कीम का निधीयन पैटर्न केंद्र सरकार द्वारा 75 प्रतिशत एवं राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत रहा है।

(ख) गैर सरकारी संगठनों के योग्य प्रस्ताव/परियोजनाओं के मामले में गैर–सरकारी संगठनों को केंद्रीय सहायता 100 प्रतिशत होगी । ऐसे एनजीओ प्रस्तावों को संबंधित राज्य सरकार की संस्तुति प्राप्त होनी चाहिए ।

(ग) साधारणतया इस स्कीम के तहत पूंजीगत व्यय के लिए केन्द्रीय सहायता पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(घ) सैटेलाईट आधारित प्रशिक्षण के संबंध में सातवें गोलमेज सम्मेलन की संस्तुति 13(पअ) के आलोक में मंत्रालय 75 प्रतिशत लागत निधि के आधार पर निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों एवं पंचायत कर्मियों के सैटेलाईट आधारित प्रशिक्षण के लिए आधारभूत संरचना की संस्थापना हेतु प्रस्तावों पर विचार करेगा । इसे एक पृथक प्रस्ताव के रूप में तैयार कर भेजा जाना चाहिए ।

(ड.) प्रत्येक अलग–अलग प्रस्ताव पर नीचे पैरा–7 में दिए गए मानक प्रतिमानकों के आलोक में विचार किया जाएगा । उत्तर पूर्व के राज्यों एवं पर्वतीय राज्यों के लिए 20 प्रतिशत तक का प्रतिमानकों में वृद्धि स्वीकार्य होंगे ।

7. पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं कर्मियों के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण पर व्यय के लिए मानक प्रतिमान ।

7.1 पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए

क्रम संख्या	कोटि	प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन लागत (रूपयों में)	अवधि दिन में
1	जिला परिषद सदस्य	1250	3
2	ब्लॉक समिति सदस्य	680	3
3	ग्राम पंचायत सदस्य	350	3
4	ग्राम पंचायत सचिव	350	3

नोटः शब्द ''सदस्यों'' ने ''अध्यक्ष'' और ''उपाध्यक्ष'' भी सम्मिलित हैं ।

7.2. पंचायतों के कर्मियों एवं लाईन विभागों के लिए

क्रम संख्या	कोटि	प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन लागत (रूपयों में)	अवधि दिन में
1	केन्द्रीय	1580	5
2	राज्य	1580	5
3	जिला	1250	3
4	ब्लॉक	680	3
5	ग्राम	350	3
6	योग/विशेष पाठ्यक्रम	1250	6

नोट–1 : प्रतिभागियों के स्तरों के अनुसार लागत में निम्नलिखित पर व्यय शामिल है ।

(क) भोजन तथा आवास ,

(ख) प्रशिक्षण सामग्री तथा लेखन सामग्री,

(ग) क्षेत्र दौरा सहित यातायात

(घ) विविध , फोन, ग्रुप फोटो, बैनर आदि ,

नोट–2: केवल निर्वाचित प्रतिनिधियों को यात्रा (रेल/बस भाड़ा वास्तविक आधार पर) व्यय की प्रतिपूर्ति की जाए ।

नोट–3 : पंचायती राज संस्थाओं के कर्मियों के लिए कम्प्यूटर अनुप्रयोग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए दर एवं अवधि पर सम्बंधित राज्य सरकार द्वारा निर्णय किया जाए।

नोट–4 : उसी प्रकार , ग्राम सभाओं के माध्यम से सामाजिक जुटाव के लिए कार्यशालाओं/सेमिनारों, जागरूकता सृजन, अभियान का संघटन करने , राज्य के बाहर या भीतर प्रदर्शन दौरा एवं आई. ई.सी. गतिविधियों इत्यादि सम्बंधित राज्य सरकारों द्वारा सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए जो कि मामला दर मामला भिन्न भिन्न हो सकता है, प्रस्तावित किए जाएंगे। तथापि निधीयन 75:25 आधार पर होगा ।

नोट: 5. पंचायती राज संस्थानों एस.एच.जी, एन.जी.ओ. , सी.बी.ओ. आदि के कर्मियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार द्वारा ₹ 100/– प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से सिटिंग शुल्क/दैनिक भत्ते पर विचार किया जा सकता है । (कर्नाटक मॉडल) इसकी सिफारिश की जाती है क्योंकि प्रशिक्षण कार्यक्रम में आने से उनकी अधिकांश प्रतिभागियों को उनकी दैनिक आय का नुकशान होता है ।

नोट: 6. प्रत्येक पाठयक्र में कम से कम तीस प्रतिभागी होने चाहिए ।

7.3. केंद्रीय सहायता दो समान किस्तों में निर्मुक्त की जाएगी । पहली किस्त प्रस्ताव की संस्वीकृति मिलने के उपरांत तथा दूसरी किस्त 60 प्रतिशत उपयोगिता एवं राज्य सरकार/एस आई आर डी/ अन्य संस्थाओं द्वारा कराए जा रहे प्रशिक्षण की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के उपरांत जारी की जाएगी

7.4. लागत मानदंड पंचायती राज मंत्रालय के दिनांक 27 अगस्त, 200 के का. ज्ञा. सं. एन–11019/71/2010–आर.जी.एस.वाई. के अनुसार संशोधित किये जा चुके हैं और यह इस तारीख के बाद जारी की गई स्वीकृतियों पर ही लागू होंगे और पूर्व में स्वीकृत परियोजनाओं के लिए निर्गत दूसरी किस्त सहित पूर्ववर्ती किस्तों पर लागू नहीं होंगे ।